

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन  
पीठासीन अधिकारी-श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या- 28/2025  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/40

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना-कुचामन।		श्री नरेन्द्र पुत्र श्री मोन राम, निवासी जीलिया, फर्म देशी स्वाद, धनराज होटल, कुचामन तहसील कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपटित  
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में  
जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थित:-


1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री शिवराम चौधरी।
2. अप्रार्थी स्वयं।

—:आदेश:—

दिनांक : 01.04.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध धारा  
6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में  
निम्न प्रकार है:-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1)  
खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध  
भण्डारण/व्यापार/दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान के तहत दिनांक 28.02.2025 को  
श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक मकराना, ओमेन्द्र कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, कुचामन  
द्वारा फर्म देशी स्वाद धनराज होटल, कुचामन पर आकस्मिक जाँच हेतु पहुंचे। मौके  
पर श्री नरेन्द्र पुत्र मोहनराम, निवासी जीलिया उपस्थित मिलें, जिन्होंने स्वयं को  
प्रबन्धक होना बताया। श्री नरेन्द्र पुत्र मोहनराम, निवासी जीलिया द्वारा मैसर्स फर्म  
देशी स्वाद धनराज होटल का निरीक्षण करवाया तथा मौके पर घरेलू गैस का उपयोग  
खाना पकाने कार्य किया जाना बताया है। मैसर्स फर्म देशी स्वाद धनराज होटल की  
तलाशी लेने पर 05 घरेलू गैस के सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये घरेलू गैस  
सिलेण्डर, जो इण्डेन कम्पनी के है। श्री नरेन्द्र पुत्र मोहनराम से घरेलू गैस के  
भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व  
अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री नरेन्द्र पुत्र मोहनराम द्वारा किसी प्रकार के  
आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरुपयोग किये  
गये 05 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त  
सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है:-

  
जिला कलक्टर  
डीडवाना-कुचामन



क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	भरे सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस (कॉलम 4-5)
1	इण्डेन	70166	21.7	15.7	6 किग्रा
2	इण्डेन	005539-T	30.1	15.9	14.2 किग्रा
3	इण्डेन	067044-T	20.0	15.6	4.4 किग्रा
4	इण्डेन	220270	15.8	15.8	0 किग्रा
5	इण्डेन	088245-T	15.8	15.8	0 किग्रा

उपरोक्त 05 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर प्रबन्धक श्री मुकेश शर्मा प्रतिनिधि बाबा रामदेव गैस सर्विस कुचामन के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दिये गये।


इस प्रकार श्री नरेन्द्र पुत्र श्री मोहनराम का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, - 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लंघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 05 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

बहस सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री नरेन्द्र पुत्र मोहनराम द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर कुल 05 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर को बाबा रामदेव गैस सर्विस कुचामन के प्रतिनिधि श्री मुकेश शर्मा को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।


बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री नरेन्द्र पुत्र मोहनराम के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

  
जिला कलक्टर  
डीडवाना-कुचामन



अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confiscation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना-कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(पुखराज सेन, IAS)  
जिला कलेक्टर  
डी.डवाना-कुचामन

